सिफारिश की है कि लम्बित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक जिला/तहसील स्तरीय न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विवादों का निपटारा करने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। उक्त रिपोर्ट 25-11-1986 को इस सदन के पटल पर रख दी गई थी। हाल ही में, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक में न्यायिक पद्धति की पुनर्संरचना की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ताकि ग्रामीण मुकदमेबाजी को कम खर्चीला बनाने और शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत अभी ठोस स्कीम बनाई जानी है।

(ग) और (घ) जी, हां। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई थी। बैठक में, प्रत्येक जिला/तहसील स्तर के न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले अपर न्यायाधीशों की विनिर्दिष्ट संख्या की बाबत कोई सिफारिश नहीं की गई है।

TIME BOUND PROMOTION FOR SC/ST IN AIR INDIA

*318. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Air India Board passed a resolution abolishing qualifying period in favour of candidates belonging to SCs/STs in time bound promotion, if so, the details thereof;

(b) by when Air India will implement the decision; and

(c) whether the Board's decision will be implemented with retrospective effect?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) Guidelines on dereservation of vacancies reserved for SC/ST candidate were referred by the Board of Directors to the management of Air India to eliminate/minimise grievances. These guidelines inter-alia emphasised the desirability of creating relaxed standards of eligibility for promotion of SC/ST candidates in the matter of dereservation of posts pertaining to time bound promotions.

Since the time bound promotions are given by way of implementation of the agreements with Union, the management has been asked in the interest of industrial harmony to discuss the issues of relaxed standards with the Union.

(b) and (c) Implementation would need to await the outcome of discussions with the Union.

ENROLMENT OF GOVERNMENT SERVANTS HOLDING LAW DEGREES WITH THE BAR COUNCILS

*319. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government servants holding law degrees are allowed under CCS (Conduct) Rules to enrol themselves with the Bar Councils in the country on the condition that they will not actively engaged in the practice as an advocate;

(b) if so, whether Government are aware that the Bar Councils are not registering such Government servants even when they have been allowed by their respective Departments to get themselves enrolled;

(c) whether it is a fact that the decision of Bar Councils in this regard has rendered the relevant provisions of the CCS (Conduct) Rules ineffective; and

(d) if so, what steps Government are taking to resolve the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA) : (a) The clarification contained in Department of Personnel and Administrative Reforms UO No. D-207/74-Estt. (A) dated 15th January, 1974 provides that a Government servant can be permitted to enrol himself as an Advocate but should not engage himself in legal profession, so long as he continues in Government service.

(b) Information in this regard is not centrally monitored.

(c) and (d) The clarification issued in 1974 has a limited relevance in the context of the CCS (Conduct) Rules while enrolment with the Bar Council is decided according to the rules framed by the Bar Council in this regard. As these are separate issues, no steps are considered necessary for resolving the matter.

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जाना

320. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल ही में बड़े उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में उन वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी है जो अभी तक लघु उद्योगों के लिए ही आरक्षित थी,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस प्रयोजनार्थ कर में रियायत देने की भी घोषणा की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में लघु उद्योगों का मुकाबला करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष सुविधाएं और रियायतें देने की घोषणा की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1993 के बाद पिछड़े राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों जहां सभी जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं) में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों, जो 1993-94 के बजट में घोषित पंचवर्षीय नए अवकाश योजना का लाभ उठा रहे हैं, को ऐसी मदों के निर्माण की अनुमति दे दी गई है, जो आय कर अधिनियम, 1961 की 11 वीं अनुसूची के अधीन पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं । पिछड़े राज्यों में स्थापित नये औद्योगक उपक्रमों को पंचवर्षीय कर अवकाश योजना के अधीन मिलने वाली रियायतें सभी नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी उपलब्ध हैं ।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन लघु उद्योगों के लिए किया गया आरक्षण वैसा ही रहेगा । अपेक्षित निर्यात दायित्व को छोड़कर कोई बड़ा अथवा मझौला निर्यातोन्मुख उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं कर सकता है । चूंकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की शर्तों के अनुसार लघु क्षेत्र में मदों के आरक्षण की मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए लघु क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है ।

3025. (*Transferred to 20 December, 1993*)

VIOLATION OF CONVENTIONS BY HEALTH MINISTRY

3026. **SHRI MENTAY PADMANABHAM** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cabinet Secretary has received representations on the functioning of Health Ministry with specific mention of violation of conventions;

(b) if so, what action has been initiated to review this matter;